

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ/मरम्मत/2020/ 338)

दिनांक : 17-12-2020

प्रशासनिक स्वीकृति

संयुक्त शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक प. 8(3)आ.प्र. एवं सहा. /प्रस्ताव/बाढ/20/14936-43 दिनांक 27.11.20 द्वारा मानसून, 2020 के दौरान भारी वर्षा से जयपुर जिले के उपखण्ड शाहपुरा, आमेर, जयपुर तथा जमवारामगढ में क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- शाहपुरा, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- दूदू तथा अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड, बरसी से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सडकें, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, के अनुसरण में जयपुर जिले की तहसील आमेर, शाहपुरा, जयपुर तथा जमवारामगढ क्षेत्र की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा सहित प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मरम्मत कार्य करवाये जाने हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना में नीचे अंकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड-शाहपुरा, जयपुर
उपखण्ड - शाहपुरा

क्र.सं.	सडक मरम्मत कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन (किमी. से किमी तक)	राशि (लाखों में)
1	Neem Ka Thana Road SH-13 to Amarpura Khori Road	0.0 to 4.00	2.40
2	A/R to Sherpura	0.00 to 0.60	0.36
3	Devipura Road to Bhanipura up to Amarpura Road	0.0 to 4.00	2.40
4	NH-8 to Khojawala	0.00 to 0.7	0.42
5	Nathawla to Swamipura up to Bhanipura Road	2.38 to 3.00	0.37
6	Neem Ka Thana Road to Jaswant pura up to Badijori	0.00 to 3.80	2.28
7	Chimanpura to Raghunathpura Badijori	0.00 to 3.30	1.98
8	Surendra Nursing Home to Khori	0.00 to 2.70	1.62
9	Karni Sagar Mod to Dhani Hardi Rampura upto Raghunathpura Road	0.00 to 1.40	0.84
10	Shahpura Rampura Road	0.00 to 2.00	1.20
11	Ramchandrapura to Jaswantpura Road	0.00 to 1.50	0.90
12	Jabebi chock (Barijori) to Chhapra Khurd via Ramchandrapura	0.00 to 4.10	2.46
13	Chimanpura to Karni Sagar	0.00 to 1.80	1.08
14	L/R Khatedi Mod Shahpura to Amarpura Road	0.00 to 4.00	2.40
15	L/R Devipura Road to Amarpura via Pradhano ki Dhani	0.00 to 1.70	1.02
16	Khoraladkhani to Manoharpur (Ch. 20/200 to 28/800)	20.20 to 28.20	9.88
17	Shahpura Devan Barodiya Km 5/00 to 7/00	5.00 to 7.00	1.20
18	A/R to Bhikhawala	2.00 to 4.300	1.38
19	A/R to Lobrawas	0.00 to 5.00	3.00
20	Deven Road to Nand Lal ka Tiraha	0.00 to 3.00	1.80
21	Surana Village to Bawariyon Ki Dhani	0.00 to 0.89	0.53
22	Madiyamic Vidhyalay Hithara to Dhani Meena Ki (Retra Mod)	0.00 to 1.50	0.90
23	Udawala to Dhani Badigaron Ki	0.00 to 1.25	0.75
24	Charsa Sec. School to Dhani Ganga Wali	0.00 to 2.00	1.20
25	Devan to Kant Via Ram Rakhwali	0.00 to 1.75	1.05
26	Kant to Dehar Ki Dhani	0.00 to 0.80	0.48
27	M/L NH-8 to Madho ka Bas	0.00 to 2.35	1.41
28	L/R Chharsa School to Kishandasji Temple	0.00 to 1.30	0.78
29	L/R Bamanwas to Toward Khora Ladkhani Khurd	0.00 to 2.30	1.38
30	Manoharpur Med Road to Kumbhawas upto Badodiya Road	0.00 to 2.20	1.32
31	L/R NH-8 to Nithara	0.00 to 3.30	1.98
32	L/R NH-8 to Lochu ka Bas	0.00 to 1.10	0.66
33	A/R to Surana	0.00 to 1.50	0.90
34	L/R Madho Ka Bas Grid to Brahmano Ki Dhani	0.00 to 1.00	0.60
35	Manoharpura (NH-8) to Itawa Bhopji (SH-37C)	21.50 to 27.50	6.00
36	Manoharpur to Bishangarh	28.80 to 34.80	8.80

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

37	Manoharpur to SH-13 Via Bishangarh Devipura	0.50 to 1.00	0.30
38	A/R Amarsar	0.00 to 1.50	0.90
39	Bilanderpur to Trilokpura	0.00 to 3.79	2.27
40	A/R to Chak Dhanota	0.00 to 3.00	1.80
41	SH-37 to Khejroli Bilandpur	6.00 to 9.60	2.16
42	Mahar Khurd to Sootlidas Maharaj	0.00 to 2.00	1.20
43	Bilanderpur to Dhani Hardaka wali	0.00 to 2.00	1.20
44	Kariri to Dhani Thakron wali	0.00 to 2.50	1.50
45	Nayan Dhanota Road to Bhomiya Ji Ka Mandir	0.00 to 2.00	1.20
46	Redawas-Bishangarh Road to Dhani Kumawato Ki	0.00 to 0.90	0.54
47	Main Road Khori to Surajmal Kumawat Jat Ki Dhani (Khori)	0.00 to 0.95	0.57
48	Dhani Bada Kha Road to Main Road Kariri Via Nahar Singh Temple Kariri	0.00 to 1.00	0.60
49	SH- 37 to Tejpura Mathurawali	2.40 to 4.20	1.08
50	Samod Amarsar Road to Paramanji	0.00 to 5.00	3.00
51	Dhanota to SH-37 via Jagatpura	1.00 to 3.50	1.50
52	Markhi to Ranipura via Kalyanpura	0.00 to 4.00	2.40
53	L/R Nayan to Purushottam ki Dhani	0.00 to 2.30	1.38
54	Kariri to Devrala	0.00 to 2.00	1.20
55	L/R Tejpura to Kalyanpura	0.00 to 1.65	0.99
56	L/R Bilanderpura to Dhani Derawali	1.50 to 3.30	1.08
57	Navalpura to Parmanand Ji Maharaj	0.00 to 2.00	1.20
58	A/R to Nayan	0.00 to 2.50	1.50
59	Dhanota to Nangal Kaju	0.00 to 3.00	1.80
60	SH-37 to Hanutpura Via Sheeshram Ki Dhani	0.00 to 2.25	1.35
61	Nayan to Murlipura	0.00 to 4.00	2.40
62	L/R Hanutpura Road to Raoji Wali	0.00 to 2.50	1.50
63	L/R Bilandarpur to Kariri Road Via Motiya wali	0.00 to 2.80	1.68
योग			106.03

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के स्वीकृति क्रमांक 14936-43 दिनांक 27.11.2020, दिशा-निर्देश क्रमांक 12384-85 दि. 24.09.2020 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
3. वे सड़कें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं अथवा वे सड़कें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा पेचवर्क से ठीक करने लायक नहीं हैं, उनकी मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
4. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
5. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. कार्यकारी विभाग बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समय-समय पर उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
7. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/ तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
8. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/ विकास अधिकारी/ सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

9. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
10. कार्यकारी अभिकरण पूर्व के बकाया आक्षेपों की पूर्ति उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के भुगतान से करवाना सुनिश्चित करें।
11. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।



जिला कलेक्टर,


जयपुर

दिनांक : 17/12/2020

क्रमांक/सम/ 3382-87

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- शाहपुरा जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
5. तहसीलदार, शाहपुरा
6. विकास अधिकारी, पं.स., शाहपुरा
7. गार्ड पत्रावली।



जिला कलेक्टर,

जयपुर